[2020] 3 एस.सी.आर. 815

मोनू कुमार और अन्य

बनाम

मेसर्स मेट्रोमैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(2017 की सिविल अपील संख्या 9963)

14 फरवरी, 2020

[मोहन एम. शांतनगौदर और आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: धारा 12(1)(ग) - समान हित रखने वाले कई उपभोक्ताओं द्वारा धारा 12(1)(ग) के तहत संयुक्त शिकायत - अलग आवेदन दायर करके, शिकायतकर्ताओं ने एक संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी - एन.सी.डी.आर.सी. ने मामले को स्वीकार करते हुए दिनांक 27.11.2015 का आदेश पारित किया और विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया - उपभोक्ता मामले को स्वीकार करने और नोटिस जारी करने के बाद, धारा 12(1)(ग) के तहत संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के आवेदन को अस्वीकार करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया और परिणामस्वरूप शिकायत को खारिज कर दिया गया - अभिनिर्धारित किया गया: व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की ओर से जितनी भी शिकायत दर्ज की गई थी, संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और दलीलों को सुनने के बाद, मामले को स्वीकार कर लिया गया था, और नोटिस जारी किया गया था - हालांकि स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन में अनुमति दी गई है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत की स्वीकृति दिनांक 27.11.2015 के आदेश में दर्ज की गई है और नोटिस जारी किया गया था, अनुमति को स्वीकार करने के आदेश में अंतर्निहित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए - जब संयुक्त आवेदन दायर करने की अनुमति के लिए विशिष्ट आवेदन दायर किया गया था और इस तरह के आवेदन पर नोटिस जारी करके स्वीकृति का आदेश पारित किया गया था, तो एन.सी.डी.आर.सी. को आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था - अनुमति प्रदान करने को अंतर्निहित रूप से दिनांक 27.11.2015 के आदेश में पढ़ा जाना है - मामले को एन.सी.डी.आर.सी. को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि वह मामले पर नए सिरे से विचार करे और शिकायत के मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर निपटाए।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2017 की सिविल अपील संख्या 9963

2015 के उपभोक्ता मामला संख्या 1361 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के दिनांक 09.01.2017 के निर्णय और आदेश से।

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी कुमार, एस. पी. कामरा, सुश्री इति शर्मा, सुश्री पीहा वर्मा, पुनीत शर्मा, राजेश महाले, शिवेंद्र द्विवेदी, सैयद फैजान अली, सुश्री तेजस्विनी मिश्रा, रचित बत्रा, सुश्री सुनीता शर्मा, रोहित वत्स, दया कृष्ण शर्मा, अनूप कुमार श्रीवास्तव, शिवकुमार गवलकर, आर. एन. पारीक, विपिन कुमार सक्सेना, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, कार्तिक आनंद, अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति:

1. 09.01.2017 के आदेश से व्यथित होकर, शिकायतकर्ता(ओं) द्वारा 2015 के उपभोक्ता मामला संख्या 1361 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में, 'एनसीडीआरसी') के समक्ष, सिविल अपील दायर की गई है।

2. उपरोक्त शिकायत अपीलार्थी मोनू कुमार और 32 अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है। संयुक्त शिकायत में, यह आरोप लगाया गया है कि संबंधित शिकायतकर्ताओं और विपरीत पक्ष के बीच निष्पादित क्रेता समझौते के संबंध में प्रत्यर्थी-विपरीत पक्ष की ओर से सेवा की कमी है।

चूंकि समान हित रखने वाले कई उपभोक्ताओं द्वारा, शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 12(1)(ग) के तहत दायर की गई थी, इसलिए अलग से आवेदन दायर करके संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी। 2015 के उपभोक्ता मामला संख्या 1361 में संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति के लिए आवेदन में, 27.11.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

"तारीख 27 नवंबर 2015

आदेश

शिकायतकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। दलीलें सुनी गईं। मामला स्वीकार लिया जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित संस्करण दाखिल करने के लिए विपरीत पक्ष को निर्देश देने के नोटिस जारी किये जायें जो 2.8.2016 पर वापस होने योग्य हों विरोधी पक्ष को नोटिस

जारी किया जाए। विरोधी पक्ष द्वारा आवेदन दाखिल करने पर 15 दिनों का समय बढ़ाया जा सकता है। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर लिखित संस्करण दाखिल नहीं किया जाता है, तो लिखित संस्करण दाखिल करने का विरोधी पक्ष का अधिकार जब्त कर लिया जाएगा।

.....जे.

जे. एम. मलिक

अध्यक्षीय सदस्य

.....जे.

डॉ. एस. एम. कांतिकर

सदस्य"

उपभोक्ता मामले को स्वीकार करने और नोटिस जारी करने के बाद, अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए दायर आवेदन को ख़ारिज करते हुए और परिणामस्वरूप दायर शिकायत को खारिज ख़ारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया जाता है।

3. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विवादित आदेश और अभिलेख पर अन्य सामग्री का अध्ययन किया है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की ओर से कई शिकायत दर्ज की गईं थीं, संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद मामला स्वीकार कर लिया गया और नोटिस जारी किया गया था। हालांकि स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन में अनुमति दी गई है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत की स्वीकृति दिनांकित 27.11.2015 के आदेश में दर्ज की गई है और नोटिस जारी किया गया था, अनुमति को स्वीकार करने के आदेश में अंतर्निहित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जब संयुक्त आवेदन दायर करने की अनुमति के लिए विशिष्ट आवेदन दायर किया गया था और इस तरह के आवेदन पर नोटिस जारी करके स्वीकृति का आदेश पारित किया गया था, तो आयोग को आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था। अनुमति प्रदान करने को अंतर्निहित रूप से दिनांक 27.11.2015 के आदेश में पढ़ा जाना है।

4. उपरोक्त कारणों से, विवादित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है, मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को वापस प्रषित कर दिया जाता है, जिसमें मामले

पर नए सिरे से विचार करने और शिकायत मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया जाता है। तदनुसार सिविल अपील की अनुमति ऊपर बताए गए निर्देश के साथ दी जाती है।

देविका गुजराल अपील की अनुमति दी गई और मामला एन.सी.डी.आर.सी. को प्रेषित किया गया।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.